

एच.आई.वी. और एड्स  
(रोकथाम एवं नियंत्रण  
अधिनियम, 2017)

“  
रोजगार पाने के लिए  
मुझे एच.आई.वी. जाँच  
करवाने के लिए मजबूर  
नहीं किया जा सकता।  
”



# मैं #HIV/AIDSAct का आदर करता हूँ।

धारा 3 की उपधारा (1): कोई भी व्यक्ति संरक्षित व्यक्ति के साथ किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जिसमें रोजगार हासिल करने, स्वास्थ्य सेवाएं या शिक्षा प्राप्त करने या, इन्हे जारी रखने या कोई अन्य सेवा या सुविधा उपयोग करने के लिए एक पूर्वापेक्षा के रूप में एच.आई.वी. जाँच शामिल है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें: <http://naco.gov.in/hivaids-act-2017>



एच.आई.वी. और एड्स  
(रोकथाम एवं नियंत्रण  
अधिनियम, 2017)



“  
अब मैं वस्तुओं, आवास,  
सेवाओं और अन्य समस्त  
सुविधाओं को बिना किसी  
भेदभाव के प्राप्त कर  
सकता हूँ।  
”

मैं #HIVAIDSAct  
का आदर करता हूँ।

धारा 3 की उपधारा (ङ): कोई भी व्यक्ति संरक्षित व्यवित के साथ किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जिसमें आम जनता के उपयोग हेतु समर्पित किसी वस्तु, आवास, सेवा, सुविधा, लाभ, विशेषाधिकार या अवसर तक पहुँच, या प्रावधान या भोग या उपयोग के संबंध में इंकार, या बंद करना, या गैर-वाजिब बर्ताव शामिल हैं।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें: <http://naco.gov.in/hivaids-act-2017>



एच.आई.वी. और एड्स  
(रोकथाम एवं नियंत्रण  
अधिनियम, 2017)

“  
अब मेरी एच.आई.वी.  
वस्तुस्थिति के बावजूद  
मेरे पास संपत्ति में रहने,  
खरीदने, किराये पर लेने  
या अधिभोग करने का  
बराबरी का अधिकार है।  
”



# मैं #HIVAIDSAct का आदर करता हूँ।

धारा 3 की उपधारा (छ): कोई भी व्यक्ति संरक्षित व्यक्ति के साथ किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जिसमें किसी संपत्ति में रहने, क्रय करने, किराये पर लेने, या अन्यथा उपभोग करने के अधिकार के संबंध में इंकार या बंद करना, या गैर-वाजिब बर्ताव शामिल है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें: <http://naco.gov.in/hivaids-act-2017>



एच.आई.वी. और एड्स  
(रोकथाम एवं नियंत्रण  
अधिनियम, 2017)

“  
अब मैं बिना किसी  
भेदभाव के सरकारी  
या प्राइवेट नौकरी  
कर सकता हूँ।  
”




# मैं #HIVAIDSAct का आदर करता हूँ।

धारा 3 की उपधारा (ज): कोई भी व्यक्ति संरक्षित व्यक्ति के साथ किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जिसमें सार्वजनिक या निजी कार्यालय के लिए खड़ा होने, अथवा  
धारण करने हेतु अवसर में इंकार या बंद करना, या गैर – वाजिब बर्ताव शामिल है।  
अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें: <http://naco.gov.in/hivaids-act-2017>



एच.आई.वी. और एड्स  
(रोकथाम एवं नियंत्रण  
अधिनियम, 2017)

“  
एचआई और एड्स  
अधिनियम, 2017  
प्रतिष्ठानों में संरक्षित  
कार्य वातावरण  
सुनिश्चित करता है।  
”



# मैं #HIV/AIDSAct का आदर करता हूँ।

धारा19: प्रत्येक संस्थान, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में कार्यरत और ऐसे अन्य प्रत्येक संस्थान, जहाँ एच.आई.वी. के प्रति उपजीविकाजन्य अरक्षितता का महत्वपूर्ण जोखिम है, संरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ, दिशानिर्देश—सर्वत्र सावधानियां के अनुसार, ऐसी सर्वत्र सावधानियों और अरक्षितता पश्चात रोगनिरोध के उपयोग हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें: <http://naco.gov.in/hivaids-act-2017>



एच.आई.वी. और एड्स  
(रोकथाम एवं नियंत्रण  
अधिनियम, 2017)


“  
अब मेरी सुविज्ञ  
सहमति के बिना मेरी  
एच.आई.वी. जाँच नहीं  
की जा सकती है।  
”



मैं #HIVAIDSAct  
का आदर करता हूँ।

धारा 5 (1): किसी व्यक्ति की कोई एच.आई.वी. जाँच शुरू या पूरी नहीं की जाएगी; या किसी संरक्षित व्यक्ति को चिकित्सार्थ उपचार, चिकित्सार्थ हस्ताक्षेप या अनुरोधान के लिए विवश नहीं किया जाएगा, सिवाय ऐसे व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि की सुविज्ञ सहमति के। यद्यपि वहाँ निश्चित परिस्थितियाँ हैं जिनके अंतर्गत सुविज्ञ सहमति की आवश्यकता नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें: <http://naco.gov.in/hivaids-act-2017>



एच.आई.वी. और एड्स  
(रोकथाम एवं नियंत्रण  
अधिनियम, 2017)

“  
क्या आप जानते हैं कि मेरा  
बड़ा सहोदर भाई या बहन,  
जिसकी उम्र 12 से 18 वर्ष के  
बीच है, अब शैक्षणिक संस्थानों  
में दाखिला, देखभाल एवं  
संरक्षण, उपचार, बैंक खातों  
के संचालन और संपत्ति के  
प्रबंधन के लिए मेरा संरक्षक  
हो सकता है।  
”



# मैं #HIVAIDSAct का आदर करता हूँ।

धारा 32: वर्तमान में प्रवृत्त किसी कानून में अंतर्विष्ट कुछ भी के बावजूद, 18 वर्ष से कम लेकिन 12 वर्ष से कमतर नहीं, आयु का व्यक्ति, जिसके पास समझाने की पर्याप्त परिपक्वता है और जो एच.आई.वी. एवं एड्स से पीड़ित अपने परिवार के मामलात का प्रबंधन कर रहा है, 18 वर्ष से कम आयु के अन्य सहोदर भाई या बहन के संरक्षक के रूप में कार्य करने में सक्षम है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें: <http://naco.gov.in/hivaids-act-2017>



एच.आई.वी. और एड्स  
(रोकथाम एवं नियंत्रण  
अधिनियम, 2017)



“

अब अदालत में अपना  
मुकदमा लड़ते समय  
मेरी पहचान गुप्त रहेगी।

”


# मैं #HIVAIDSAct का आदर करता हूँ।

धारा 34: किसी भी कानूनी कार्यवाही में, जिसमें एक संरक्षित व्यक्ति पक्षकार या फरियादी है, अदालत, ऐसे व्यक्ति या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति की फरियाद पर, आदेश पारित कर सकती है: जैसे एक कूटनाम से नाम को प्रतिस्थापित करके फरियादी की पहचान को छिपाकर कार्यवाही की जाएगी, कार्यवाही के मरे में की जाएगी, आदि।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें: <http://naco.gov.in/hivaids-act-2017>



एच.आई.वी. और एड्स  
(रोकथाम एवं नियंत्रण  
अधिनियम, 2017)



“  
सावधान—सावधान!  
अब आपको मेरे  
खिलाफ नफरत और  
शारीरिक हिंसा को  
बढ़ावा देने के लिए दंड  
दिया जा सकता है।”  
”

# मैं #HIVAIDSAct का आदर करता हूँ।

धारा 37: किसी भी कार्रवाई के बावजूद, जो वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत की जा सकती है, जो कोई धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उसे ऐसी अवधि का कारवास का दंड दिया जाएगा जो तीन माह से कमतर नहीं होगी लेकिन जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के साथ जिसे एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथ।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें: <http://naco.gov.in/hivaids-act-2017>



“

अब मेरे प्रतिष्ठान और  
अस्पतालों तक मैं  
शिकायत अधिकारी  
द्वारा मेरी शिकायत  
निवारण किया जा  
सकता है।

”



# मैं #HIVAIDSAct का आदर करता हूँ।

धारा 20 और 21: प्रतिष्ठान जो सौ या अधिक व्यक्तियों को शामिल करते हैं और स्वारश्य देखभाल प्रतिष्ठानों के मामले में, जो बीस या अधिक व्यक्तियों को शामिल करते हैं; शिकायत अधिकारी नामजद करेंगे जो प्रतिष्ठान में इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघनों की शिकायतों का निपटान करेगा।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें: <http://naco.gov.in/hivaids-act-2017>

एच.आई.वी. और एड्स  
(रोकथाम एवं नियंत्रण  
अधिनियम, 2017)

FILE COMPLAINT



“  
अब मेरे पास किसी  
भी भेदभाव के खिलाफ  
राज्य में लोकपाल से  
शिकायत करने का  
विकल्प है।  
”

मैं #HIV/AIDSAct  
का आदर करता हूँ।

धारा 23 और 24: प्रत्येक राज्य सरकार एक या अधिक लोकपाल नियुक्त करेगी, लोकपाल, किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत किए जाने पर, धारा 3 (भेदभाव निषेध) में उल्लिखित  
भेदभाव के कृत्तों और किसी व्यक्ति द्वारा स्वारक्ष्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के संबंध में, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघनों की जाँच-पड़ताल करेगा।  
अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें: <http://naco.gov.in/hivaids-act-2017>



“**अब मुझे मेरी  
एच.आई.वी.  
वस्तुस्थिति प्रकट  
करने के लिए  
मजबूर नहीं किया  
जा सकता।**”



# मैं #HIVAIDSAct का आदर करता हूँ।

धारा 8: वर्तमान में प्रवृत्त किसी कानून में अंतर्विष्ट कुछ भी के बावजूद, किसी व्यक्ति को उसकी एच.आई.वी. वस्तुस्थिति प्रकट करने से हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा।

यद्यपि वहाँ निश्चित परिस्थितियाँ हैं जिनके अंतर्गत वस्तुस्थिति प्रकट की जा सकती हैं।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें: <http://naco.gov.in/hivaids-act-2017>